कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स-6(20)आ.एवं.क./प्रेप-मंत्रा/2019/ 1966 दिनांक:- 29.3.2019

परिपत्र

राजस्थान पुलिस में कार्यरत सभी पुलिस कर्मियों एवं उनके बच्चो के लिए AYI-BO SOLUTIONS के सहयोग से दिनांक 13.03.2019 को नि:शुल्क ऑनलाईन कोचिंग सुविधा प्रारम्भ की गई है।

उक्त कोचिंग सुविधा हेतु वेबसाईट rajasthanpolice.prepmantra.com तैयार की गई है जिस पर निम्न प्रतियोगिताओं/पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित कोर्स सामग्री (Course Material) उपलब्ध है:-

(I) CBSE CLASS 6^{th} TO 12^{th}
(II) ENGINEERING ENTRANCE EXAM (JEE)
(III) ALL INDIA PRE-MEDICAL TEST
(IV) NATIONAL DEFENCE ACADEMY ENTRANCE TEST
(V) SSC COMBINED GRADUATE LEVEL
(VI) COMMON LAW ADMISSIONS TEST
(VII) RAILWAY RECRUITMENT EXAMS
(VIII) CENTRAL POLICE FORCE EXAM
(IX) NATIONAL ELGIBILITY CUM ENTRANCE TEST
(X) BITSAT
(XI) COMMON ADMISSION TEST
(XII) CIVIL SERVICES APTITUDE TEST
(XIII) MANAGEMENT ADMISSION TEST
(XIV) VARIOUS OTHER EXAMS/ COURSES

इस वेबसाईट में लॉगिन प्रकिया पत्र के साथ संलग्न है तथा वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

यह सुविधा केवल राजस्थान पुलिस के परिवारों हेतु उपलब्ध है अत: यह सुनिश्चित किया जावे कि इस वेबसाईट का उपयोग केवल पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारजनों द्वारा ही किया जावें।

(अशोक कुमार गुप्ता)
उप महानिरीक्षक पुलिस
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्न को प्रेषित कर निवेदन है कि इस परिपत्र को रोलकॉल में पढ़कर सुनाया जावे तथा नोटिस बोर्ड पर चश्पा भी करावें। प्रेपमंत्रा का उपयोग करने में कठिनाई अनुभव होने पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण भी उपलब्ध करावें।

1. समस्त महानिदेशक पुलिस/ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी/एस.सी.आर.बी./एफ.एस.एल./ इन्टै. ट्रैनिंग अकादमी, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/ जोधपुर।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय जी.आर.पी.अजमेर/ जोधपुर/ ए.सी.बी./ केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, आर.पी.टी.सी. जोधपुर/ किशनगढ़।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी निरोधक दल, उदयपुर।
10. समस्त कमाण्डेंट, आर.ए.सी. बटालियन मय आई.आर./एम.बी.सी.।
11. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन जे.डी.ए. जयपुर/ जोधपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
13. समस्त कमाण्डेंट, पी.टी.एस. राजस्थान मय पी.एम.डी.एस.।
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सर्तकता, नगर निगम जयपुर/ डिस्कॉम जयपुर, जोधपुर, अजमेर/ पीसीपीएनडीटी चिकित्सा विभाग/ महिला आयोग/ बाल संरक्षण आयोग, जयपुर।
15. समस्त जोन ऑफिसर, सीआईडी (सीबी/आईबी) राजस्थान, जयपुर।
16. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर।
17. रिजर्व पुलिस निरीक्षक, पुलिस ऑटोमोबाईल वर्कशॉप, बीकानेर/ जोधपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

।।कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांक व.5(15)आ.एवं क./बीमा/2016पार्ट/ 2236 दिनांक-18-4-19

परिपत्र

पुलिसकर्मी लम्बी एवं कठिन ड्यूटी तथा ड्यूटी के दौरान विश्राम/मनोरंजन इत्यादि के लिए समय नहीं मिलने के कारण तनाव का अनुभव करते हैं। लम्बे समय तक ऐसी जीवनचर्या रहने पर पुलिसकर्मियों के उच्च रक्तचाप, डाईबिटीज, अवसाद, इत्यादि रोगों से ग्रसित होने की सम्भावना बढ़ जाती है। इन समस्याओं का समय पर निदान होने पर इनके गम्भीर परिणामों से बचाव सम्भव है।

इसी परिप्रेक्ष्य में मानसिक तनाव एवं अन्य रोगों से बचाव एवं उपाय हेतु पुलिस मुख्यालय में दूरभाष संख्या 0141-2821500 पर हेल्प लाईन स्थापित की गई है जो कार्यालय दिवस में प्रात: 10.30 बजे से सांय: 05.00 बजे तक कार्यरत होगी। राजस्थान पुलिस के पुलिस अधिकारी/कर्मी, स्टाफ एवं उनके परिवारजन इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

(भूपेन्द्र कुमार दक)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि-
निम्नांकित को प्रेषित कर निवेदन है कि इसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए दो सप्ताह तक प्रतिदिन रोलकॉल में पढ़कर सुनाया जावे-

1. समस्त महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2. निदेशक, आरपीए/पुलिस दूरसंचार/एससीआरबी/इन्टेलीजेन्स ट्रेनिंग अकादमी, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज, राजस्थान।
5. पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, जयपुर/मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
7. प्रधानाचार्य, आर.पी.टी.सी. जोधपुर।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी/हाडीरानी/एमबीसी/एसडीआरएफ बटालियन, राजस्थान।
9. समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
10. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
11. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

1

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-स.6(3)आ.एवंक./केचसंचालित/18/393 दिनांकः- 17.01.201

1. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
3. समस्त कमाण्डेंट बटालियन आरएसी/एमबीसी/हाड़ी रानी महिला बटालियन।
4. प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर/किशनगढ़।
5. समस्त कमाण्डेंट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल राजस्थान मय पीएमडीएस बीकानेर।

विषयः- केच सुविधा।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर केच सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

इस हेतु आपके जिला/यूनिट/संस्थान में पदस्थापित महिलाकर्मियों के लिए रिर्जव पुलिस लाईन्स/बटालियन परिसर/अन्य उपयुक्त स्थान पर आवश्यकतानुसार केच सुविधा स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें। जिन कार्यालयो में कार्यरत महिला कर्मियों की संख्या कम हो वहां संचालित अन्य केच से समन्वयन स्थापित कर उपलब्ध कराई जावे।

भवदीय

17/01/19

(हिंगलाज दान)
महानिरीक्षक पुलिस,
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महानिदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियन राज. जयपुर।
3. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
4. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।

महानिरीक्षक पुलिस,
आयोजना आधुनिकीकरण एवं

।।कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांक:-स.6(16)आ.एवंक./लिटरेसी/2019/ 2230 दिनांक-16.04.2019

1. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
2. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।

विषय-Financial literacy के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत श्री राहुल सैनी (President, Mission Financial Literacy, 9667105545) द्वारा दिनांक 07.03.2019 को पुलिस मुख्यालय में Financial literacy विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया जिसमें उन्होंनें बचत को बेहतर विकल्पों में निवेश करने के बाबत विस्तृत जानकारी दी। निवेश के सम्बन्ध में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मियों के लिए अति उपयोगी हो सकती है।

अत: निर्देशानुसार निवेदन है कि कृपया श्री राहुल सैनी अथवा ऐसे अन्य किसी निवेश विशेषज्ञ के सहयोग से आपके अधीन जिलों में ऐसी जानकारी प्रदान करने हेतु talk आयोजित कराने का श्रम करें।

श्री राहुल सैनी द्वारा जयपुर में दिनांक 07.03.2019 को दिए गए प्रस्तुतीकरण की विडियो विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जा रही है जिसे विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मियों को दिखाया जावे।

संलग्न-उक्तानुसार

भवदीय,

(भूपेन्द्र कुमार दक)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।
क्रमांक-व-15(14)आ.एवं क./वेलफेयर/95/पार्ट-2/2491 दिनांक: 04.05.2018

सेवा के दौरान मृत्यु पर देय परिलाभ का विवरण

पुलिस अधिकारी/कर्मियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित को देय परिलाभ निम्नानुसार है। विस्तृत एवं सटीक जानकारी संबंधित अधिनियम/नियम/परिपत्र से की जावे।

क्र. सं.	विवरण	देय परिलाभ
1	पेंशन	
	परिवारिक पेंशन	अंतिम रूप से आहरित परिलब्धियों का अधिकतम 50 प्रतिशत
	विशेष पेंशन	मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा अंतिम रुप से आहरित परिलब्धियों के समान (राजस्थान पेंशन नियम 109 से 114 के अनुसार)
2	बीमा	राज्य कर्मचारी बीमा की बीमित राशि की दुगनी राशि
3	जी.पी.एफ.	जी.पी.एफ. में जमा राशि मय ब्याज
4	उपार्जित अवकाश का भुगतान	अनुपयोजित उपार्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिवस) के वेतन के बराबर नकद राशि
5	ग्रेच्यूटी	सेवावधि के अनुरुप (अधिकतम राशि 20 लाख रुपए) (राजस्थान पेंशन नियम 55 (1)(क) के अनुसार)
6	अनुकम्पात्मक नियुक्ति	मृतक के एक योग्य आश्रित को नियमानुसार
7	दयामूलक अनुदान	राजस्थान सिविल सर्विस (पेंशन) संशोधित नियम 1996 के नियम 75 के प्रावधानानुसार (अधिकतम राशि रु. 20.00 लाख)
8	समूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (दुर्घटना अथवा घटना होने पर)	
	कानि. से हैड कानि.	रु.2.00 लाख
	स.उ.नि. से पु.नि.	रु.4.00 लाख
	उप पुलिस अधीक्षक से महानिदेशक पुलिस	रु.6.00 लाख
	पार्थिव शरीर को पैतृक शहर/कस्बा/गांव ले जाने हेतु परिवहन राशि (बीमित राशि के अतिरिक्त)	रु.2000
9	राजस्थान पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड	
	साधारण मृत्यु होने पर	रु. 35000
	मुठभेड़ के दौरान मार दिए जाने पर	रु. 45000

10	राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास के सदस्य को	किन्ही भी परिस्थितियों में मृत्यु होने पर	रु. 30000
11	समूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी	ई.आर.टी., ए.टी.एस., ए.एस.सी. एवं बी.डी.एस. के अधिकारियों/कर्मियों की कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान मृत्यु होने पर	रु.25.00 लाख

नोट –

उपरोक्त के अतिरिक्त अपराधियों द्वारा दंगा, बलवा एवं डकैती, आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन, इत्यादि के दौरान मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा विशेष पैकेज स्वीकृत होने पर मृतक के आश्रित को उसके गृह जिले अथवा पदस्थापन क्षेत्र में एक एमआईजी श्रेणी का आवास, छात्रवृति, बिजली कनेक्शन इत्यादि हेतु अधिकतम राशि रुपए 20.00 लाख

कृपया इस संबंध में समस्त पुलिस अधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराया जावे।

(भूपेन्द्र कुमार दक)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि–

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/जेल, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. निदेशक, आरपीए/एससीआरबी/वायरलैस/एफएसएल।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी/हाडीरानी/एमबीसी, बटालियन।
9. समस्त कमाण्डेन्ट, प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।
क्रमांक-व-15(14)आ.एवं क./वेलफेयर/95/पार्ट-2/2490 दिनांक: 04.05.2018

सेवानिवृति पर देय परिलाभ का विवरण

पुलिस अधिकारी/कर्मियों को सेवानिवृति पर देय परिलाभ का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। विस्तृत एवं सटीक जानकारी संबंधित अधिनियम/नियम/परिपत्र से की जावें।

क्र. सं.	विवरण	देय परिलाभ
1	पेंशन	
	28 वर्ष एवं अधिक की सेवा अवधि	अंतिम रुप से आहरित परिलब्धियों का 50 प्रतिशत
	28 वर्ष से कम की सेवा अवधि	अनुपातिक रुप से
2	बीमा	राज्य कर्मचारी बीमा की बीमित राशि मय बोनस राशि
3	जी.पी.एफ.	जी.पी.एफ. में जमा राशि मय ब्याज
4	उपार्जित अवकाश का भुगतान	अनुपयोजित उपार्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिवस) के वेतन के बराबर नकद राशि
5	ग्रेच्यूटी	सेवावधि के अनुरुप (अधिकतम राशि रुपए 20 लाख) (राजस्थान पेंशन नियम 55 (1)(क) के अनुसार)

कृपया इस संबंध में समस्त पुलिस अधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराया जावे।

(भूपेन्द्र कुमार दक)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/जेल, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. निदेशक, आरपीए/एससीआरबी/वायरलैस/एफएसएल।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी/हाडीरानी/एमबीसी, बटालियन।
9. समस्त कमाण्डेन्ट, प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

118

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– व–15 (14) आ. एवं क./वैलफेयर/95/पार्ट–2/8557 दिनांक 16-12-2014

परिपत्र

राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से सदस्यों/आश्रितों को हृदय रोग, कैंसर, बड़े ऑपरेशनों व लम्बी चलने वाली गंभीर बीमारियों के उपचार के संबंध में राजकीय/अनुमोदित चिकित्सालय में उपचार करवाने पर व्यय अपुनर्भरण योग्य राशि के मूल बिल प्रस्तुत के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के सदस्यों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 13082 दिनांक 2.11.2007, आदेश संख्या 11072 दिनांक 8.9.2008 तथा पत्र संख्या 3084 दिनांक 5.4.2010, 12021 दिनांक 27.12.2011 तथा सदस्यों एवं उनके आश्रितों को उपचार के लिये राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से ऋण स्वरूप राशि प्रदान करने हेतु पत्र संख्या 13251 दिनांक 18.9.2008 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है । राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय को भेजे जाने वाले प्रकरणों में पूर्ण सूचनाऐं प्रेषित नही करने के कारण आर्थिक सहायता जारी करने में अनावश्यक विलम्ब होता है । राजस्थान पुलिस कल्याण निधि की अंशदान (चंदा) राशि समय पर जमा नही होने की स्थिति में आर्थिक सहायता स्वीकृत करने में बाधा आती है । अतः भविष्य में राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से आर्थिक सहायता एवं ऋण हेतु निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण प्रेषित किये जावें ।

1. **राजस्थान पुलिस कल्याण निधि की अंशदान राशि की कटौती :–**

राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के अंशदान की कटौती प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर के वेतन से की जाती है, इस संबंध में प्रतिवर्ष इस कार्यालय द्वारा निर्देश भी जारी किये जाते है, फिर भी कुछ कार्यालयों द्वारा सभी कर्मचारियों की अंशदान राशि कटौती नही की जाती है । यदि किसी पुलिसकर्मी का किसी कारणवश माह सितम्बर का वेतन आहरित नहीं होने के कारण चंदा राशि जमा नहीं हुई है तो आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा जब कभी भी सितम्बर अथवा आगामी माह का वेतन आहरित किया जावे उसमें से अनिवार्य रूप से अंशदान की कटौती की जावे।

2. **राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से आर्थिक सहायता :–**

जिला/यूनिटों से पुलिस कर्मियों के स्वयं एवं उनके आश्रितों के उपचार पर अपुनर्भरण योग्य राशि के प्रकरण पुलिस मुख्यालय में प्राप्त होते है, जो संबंधित कार्यालय द्वारा बिना जांच किये हुये ही अपूर्ण भिजवाये दिये जाते है, जिसके कारण अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है तथा बीमार कर्मी को यथा समय पर सहायता नही मिल पाती है । अतः भविष्य में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रकरण भिजवाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करेंगे ।

(क) **राजकीय अस्पताल एवं अनुमोदित अस्पताल में उपचार करवाने पर :–**

(i) प्रकरण प्रेषित करते समय संलग्न प्रपत्र "अ" के सभी कॉलमों की पूर्ति किया जाना आवश्यक है ।

(ii) कोषालय से पारित बिल की छायाप्रति ।

(iii) अपुनर्भरण योग्य राशि के सम्बन्ध में आहरण एवं वितरण अधिकारी का प्रमाण–पत्र एवं संबंधित पुलिस कर्मी का शपथ–पत्र ।

(iv)) संबंधित चिकित्सालय के फाईनल बिल की छायाप्रति ।

(v) गत पांच वर्षो में राजस्थान पुलिस कल्याण निधि की अंशदान राशि कटौती का पूर्ण विवरण।

(vi) राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से आर्थिक सहायता हेतु आश्रित माता–पिता के वही प्रकरण मान्य होगें जो राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 2013 के अन्तर्गत आते हों, यह कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जावेगा ।

(vii) पुलिस कर्मियों के अवयस्क पुत्र/पुत्रियों के प्रकरणों में उनकी आयु का उल्लेख किया जावे । वयस्क पुत्र/पुत्रियों को नियमानुसार राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से कोई आर्थिक सहायता देय नही है।

(ख) पुलिस कर्मी एवं उनके आश्रितों को राज्य सरकार से बिना अनुमोदित प्राईवेटो अस्पतालों में उपचार करवाने पर :–

(i) प्रकरण प्रेषित करते समय संलग्न प्रपत्र "अ" के सभी कॉलमों की पूर्ति किया जाना आवश्यक है ।

(ii))) संबंधित चिकित्सालय के फाईनल बिल की छायाप्रति ।

(iii) गत पांच वर्षो में राजस्थान पुलिस कल्याण निधि की अंशदान राशि कटौती का पूर्ण विवरण।

(iv) राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से आर्थिक सहायता हेतु आश्रित माता–पिता के वही प्रकरण मान्य होगें जो राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 2013 के अन्तर्गत आते हों, यह कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जावेगा ।

(v) पुलिस कर्मियों की अवयस्क पुत्र/पुत्रियों के प्रकरणों में उनकी आयु का उल्लेख किया जावे तथा वयस्क पुत्र/पुत्रियों को नियमानुसार कोई आर्थिक सहायता देय नही है।

(vi) प्राईवेट अस्पताल में उपचार अपरिहार्य तात्कालिक परिस्थितियों में जैसे गंभीर बीमारी/दुर्घटना की स्थिति में नजदीकी क्षैत्र में राजकीय अस्पताल नही होने या राजकीय अस्पताल है, लेकिन उसमें सुविधा उपलब्ध नही होने के कारण जीवन रक्षा के लिये राज्य अथवा राज्य के बाहर उपचार राज्य सरकार से गैर अनुमोदित अस्पताल में कराया जाता है, उसका पुनर्भरण चिकित्सा परिचर्या नियमों के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है । पुनर्भरण के पश्चात् शेष अपुनर्भरण योग्य बिल राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से आर्थिक सहातया हेतु प्रेषित किये जावेगें, उन प्रकरणों को ही परिपत्र दिनांक 2.11.2007 के अन्तर्गत "सी" श्रैणी माना जावेगा । यदि पुनर्भरण नही किया जाता है तो यह माना जावेगा कि स्वयं की इच्छा से प्राईवेट अस्पताल में उपचार करवाया गया है, जिसे "डी" श्रैणी में माना जाकर प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

(viii) प्राईवेट अस्पताल में करवाये गये उपचार पर व्यय राशि के मूल बिल संबंधित चिकित्सक से प्रमाणित करवाकर भिजवाये जावे ।

(ग) **दिनांक 1.1.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के स्वयं एवं उनके आश्रितों के उपचार पर व्यय राशि को सर्वप्रथम मेडिक्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत दावा राशि प्राप्त की जावे, तत्पश्चात् अपनुर्भरण योग्य राशि के प्रकरण भिजवाते समय बिन्दु संख्या –क व ख में अंकित दस्तावेज भी आवश्यक है ।**

3. **सदस्यो एवं उनके आश्रितों को हृदय रोग, कैंसर या बड़े ऑपरेशनों व लम्बी चलने वाली गंभीर बीमारियों के लिये ऋण राशि की आवश्यकता हो तो पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के उपचार हेतु सर्वप्रथम चिकित्सा नियमों के तहत अग्रिम राशि प्राप्त की जावें तत्पश्चात् राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से ऋण हेतु निम्न दस्तावेजों सहित प्रकरण प्रेषित किया जावें :–**

(i) प्रकरण प्रेषित करते समय संलग्न **प्रपत्र "ब"** के सभी कॉलमों की पूर्ति किया जाना आवश्यक है ।
(ii) ऋण हेतु संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी आवेदन पत्र ।
(iii) अधिकारी एवं कर्मचारी का मूल वेतन ।
(iv) उपचार पर व्यय होने वाली राशि का ऐस्टीमेट ।
(v) पुनर्भरण होने वाली राशि ।
(vi) गत् पांच वर्षो में राजस्थान पुलिस कल्याण निधि की अंशदान राशि कटौती का पूर्ण विवरण।
(vii) राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से ऋण हेतु आश्रित माता–पिता के वही प्रकरण मान्य होगें जो राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 2013 के अन्तर्गत आते हों, यह कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जावेगा ।
(viii) पुलिस कर्मियों की अवयस्क पुत्र/पुत्रियों के प्रकरणों में उनकी आयु का उल्लेख किया जावे । राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से वयस्क पुत्र/पुत्रियों को नियमानुसार कोई आर्थिक सहायता देय नही है।

संलग्न :– प्रपत्र "अ" एवं "ब"

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
आयोजना, आधुनिकीकरण और कल्याण,
राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान ।
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर ।
3. समस्त महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान ।
4. निदेशक, आरपीए/एस.सी.आर.बी.,/वायरलैस/एफएसएल, जयपुर ।
5. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान मय ए.सी.बी., जयपुर ।
6. पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर ।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी/ए.सी.बी.,/केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
8. समस्त कमांण्डेन्ट, आरएसी बटालियन मय आईआर/एमबीसी खैरवाडा ।
9. प्रधानाचार्य, आरपीटीसी जोधपुर ।
10. समस्त कमाण्डेन्ट पीटीएस राजस्थान मय एमडीएस बीकानेर/एसटीएस, जयपुर ।
11. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर ।
12. समस्त जोन अधिकारी सीआईडी सीबी/एसबी राजस्थान जयपुर ।
13. रिजर्व पुलिस निरीक्षक, पुलिस ऑटोमोबाईल वर्कशाप बीकानेर/जोधपुर ।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
आयोजना, आधुनिकीकरण और क

115

प्रपत्र "अ"

राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से स्वय एवं आश्रितों को चिकित्सा पश्चात् आर्थिक सहायता हेतु आवेदन

1	कर्मचारी का नाम	
2	पद एवं बैल्ट नम्बर	
3	नियुक्ति वर्ष	
4	वर्तमान पदस्थापन	
5	आर्थिक सहायता का कारण	
6	रोगग्रस्त स्वयं कर्मचारी है या आश्रित सदस्य यदि आश्रित सदस्य है तो उससे संबंध एवं आयु	
7	आश्रित में यदि माता–पिता है तो उनकी कुल वार्षिक आय	
8	गत् पांच वर्षो में कटौती की गई चंदा राशि का विवरण	

क्र. सं.	वर्ष	चंदा राशि कटौती का माह	रसीद संख्या / दिनांक	राशि
1				
2				
3				
4				
5				

9	उपचार कराने वाले चिकित्सालय का नाम (राजकीय / अनुमोदित / प्राईवेट)	
10	परिपत्र दिनांक 2.11.2007 के अन्तर्गत किस श्रैणी में आता है ।	
11	यदि प्राईवेट अस्पताल है तो राजकीय / अनुमोदित अस्पताल ईलाज नहीं कराने का स्पष्ट कारण	
12	उपचार पर कुल व्यय राशि	
13	चिकित्सा नियमों के तहत पुनर्भरण की गई राशि	
14	उपचार पर कुल व्यय राशि	
15	मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत पुनर्भरण की गई राशि, अगर कोई है	
16	पुनर्भरण के पश्चात् शेष रही अपुनर्भरण योग्य बिलों की राशि, अगर कोई है	
17	जिला वैलफेयर फण्ड से दी गई आर्थिक सहायता का विवरण	
18	संलग्न पृष्ठों की संख्या	

प्रमाण–पत्र

1	आवेदन–पत्र में उपरोक्त दी गई सूचनाएं सभी सही तथा प्रस्तावित आर्थिक सहायता का प्रकरण राजस्थान पुलिस कल्याण निधि नियम–4 एवं प्रपत्र दिनांक 2.11.2007 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप है ।
2	आवेदन–पत्र में वर्णित दवाईयों और खर्चो चिकित्सा परिचर्या या अन्य नियमों के तहत किसी की भी अनुमति / स्वीकृति से पुनर्भरण योग्य नही है ।
3	जिस उदेश्य के लिए राशि मांगी जा रही है, उसी उदेश्य के लिये राशि खर्च की जावेगी और जो राशि बचेगी उसे तुरन्त राजस्थान पुलिस कल्याण निधि को वापिस लौटा दी जावेगी।

कार्यालयाध्यक्ष

नोट :– 1. पुलिस कर्मी स्वयं एवं उनके आश्रितों का उपचार राजकीय / अनुमोदित अस्पताल में करवाया जाता है तथा मूल बिल कोषालय में प्रेषित क्रिये जाने की स्थिति में बिलों की छायाप्रति, कोषालय से पारित बिल की प्रति, कर्मचारी से अपुनर्भरण योग्य राशि के सम्बन्ध में शपथ–पत्र एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी का प्रमाण–पत्र भिजवाना आवश्यक है।

प्रपत्र "ब"

राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से स्वय एवं आश्रितों उपचार हेतु ऋण राशि प्राप्त करने का आवेदन पत्र

1	कर्मचारी का नाम				
2	पद एवं बैल्ट नम्बर				
3	नियुक्ति वर्ष				
4	वर्तमान पदस्थापन				
5	बीमारी का नाम				
6	रोगग्रस्त स्वयं कर्मचारी है या आश्रित सदस्य यदि आश्रित सदस्य है तो उससे संबंध एवं आयु				
7	आश्रित में यदि माता–पिता है तो उनकी कुल वार्षिक आय				
8	गत् पांच वर्षो में कटौती की गई चंदा राशि का विवरण				
क्र. सं.	वर्ष	चंदा राशि कटौती का माह	रसीद संख्या / दिनांक	राशि	
1					
2					
3					
4					
5					
9	उपचार कराने वाले चिकित्सालय का नाम (राजकीय / अनुमोदित / प्राईवेट)				
10	आपात्तिक ऑपरेशन की स्थिति होने वाला अनुमानित व्यय				
11	ऋण हेतु कर्मचारी का प्रार्थना–पत्र				
12	कर्मचारी का मूल वेतन				
13	पुनर्भरण योग्य राशि				
14	यदि प्राईवेट अस्पताल है तो उसमें ईलाज कराने का कारण मय स्पष्ट टिप्पणी				

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी द्वारा ऋण राशि जिस उदेश्य के लिए प्राप्त की जा रही है, उसी उदेश्य में उपयोग ली जावेगी. यदि ऑपरेशन / उपचार नही कराया जाता है तो ऋण राशि वापिस लौटा दी जावेगी ।

चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण प्राप्त होने पर सर्वप्रथम राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से प्राप्त ऋण की वसूली कर ली जावेगी ।

कार्यालयाध्यक्ष

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE,
RAJASTHAN, JAIPUR.

No: PMW/BANK/2015-16/ 87 Dated:04.01.2018

1. All Addl. Directors General of Police, Rajasthan, Jaipur.
2. Director, RPA/ SCRB/PTC/ITA
3. Commissioner of Police, Jaipur/Jodhpur.
4. All Inspectors General of Police, Ranges Rajasthan.
5. All Superintendents of Police, Rajasthan.
6. Dy.Commissioner of Police,HQ, Police Comm., Jaipur/Jodhpur.
7. Principal, Rajasthan Police Training Center, Jodhpur/Kishangarh.
8. All Comdts., RAC/MBC/ Hadi Rani Bn./ SDRF Bn., Rajasthan.
9. All Comdts., Police Training Schools/PMDS/CTC, Rajasthan.

Subject: Salary account details.

Sir,

A MOU for 'Police Salary Package' was signed by PHQ and SBI on 03.01.2018, aimed at providing police personnel and other staff of the department with several benefits. Copy of MOU is available on the official website of the department.

Districts/units, which are willing to benefit by above 'package', may please send the salary account details, in the following format, in excel sheet on the e-mail address- psppb.lhojai@sbi.co.in with a copy to addl.pmw@rajpolice.gov.in as soon as possible, so that salary accounts already with SBI, may be migrated to 'PSP accounts'.

Sl.No.	Police ID No.	Account Number	Name	Date of Birth	Gender	Designation / Work profile	Gross Salary Monthly	Location (district)

The local officials of SBI have also been instructed for coordination.

Yours faithfully,

(signature)

(Bhupendra Kumar Dak)
Addl. Director General of Police,
Planning, Modernization & Welfare,
Rajasthan, Jaipur.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE,
RAJASTHAN, JAIPUR.

No: S-6(71)P&W/Medical Check up/2018/ 476 Dated:22-01-2019

1. Commissioner of Police, Jaipur/Jodhpur
2. All Inspectors General of Police, Rajasthan
3. All Superintendents of Police, Rajasthan
4. Principal/Commandant, RPTC/ PTSs/CTS/PMDS
5. All Commandants, RAC/MBC/Hadi Rani Bn./ SDRF

Subject: Medical check up of subordinate officers/staff.

Sir,

Please refer DOP Circular no. प.17(3)/कार्मिक/ख-1/17 dated 26 July, 2017 regarding periodical medical check up. Copy available on website police.rajasthan.gov.in.

Please apprise how many police officers/men of your district/unit have undergone medical check up in the year 2018-19. The information may be sent on email addlsp.pmw@rajpolice.gov.in by 05.02.2019.

Yours faithfully,

(Bhupendra Kumar Dak)
Addl. Director General of Police,
Planning, Modernization & Welfare,
Rajasthan, Jaipur.

Copy to-

1. All DsGP/Addl. DsGP, Rajasthan, Jaipur.
2. PS to Director General of Police, Rajasthan, Jaipur.

Addl. Director General of Police,
Planning, Modernization & Welfare,
Rajasthan, Jaipur.

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।
क्रमांक–स.6(04)आ.एवं क./आरपीबीएफ/छात्रवृति/2019–20/2828 दिनांक– 30.5.2019

परिपत्र

राजस्थान पुलिस हितकारी निधि (Benevolent fund) से छात्रवृति

राजस्थान पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड से पुलिसकर्मियों के बच्चों को शिक्षा सत्र 2019–20 के लिए छात्रवृति दिये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते है। सम्बन्धित कार्यालयों में आवेदन हेतु अंतिम तिथि 24.09.2019 है।

1. छात्रवृति/पुरस्कार की दरें
(a) सामान्य पाठ्यक्रम हेतु

क.सं.		पाठ्यक्रम का नाम	आरपीबीएफ के समस्त सदस्यों के पुत्र/पुत्री
1.	School	9th &10th	4000
		11th & 12th	5000
2.	College	Under Graduate (All Faculty)	10000
		Post Graduate & M. Phil(All Faculty)	12000

(b) तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं अन्य योग्यता

1.	Technical & Professional Grade. A	IIT/ IIM/ AIIMS/ SPA/ NSD/ IISc/ NLU/ NIFT	30000
		MBBS/ B.Tech/ B.E/ B.Arch./ MBA/ Master of computer application/ Bachelor of Laws (Integrated) Other Institute	30000
		BAMS/BHMS/B.V.Sc/BDS & ICWA	20000
2.	Technical & Professional Grade. B	Poly Tech. Dipolma/ B.Pharma/ BSc (Nursing)/ BPT/ BOT/ BSc (Agriculture)/ BCA/ BBA/ GNM/ D.Pharma/ D.Arch. & MSc (Bio Tech, Micro Biology & Bio chemistry)	15000
3.	Technical & Professional Grade. C	Master of Journalism and Mass Communication/ Master of Fine Arts/ LLB (TDC)/ MSc (Bio Informatics, Electronics, IT & Computer Sc) & BSc (Bio Tech, Micro Biology & Bio chemistry)	15000

4.	Technical & Professional Grade. D	B.ED/ BP.ED/ P.G Diploma (One Year)/ Bachelor of Journalism and Mass Communication/ BSc (Bio Infomatics, Computer Sc, Electronics, Nautical science & IT)	15000
		BSTC/ ANM/ ITI/ LSA (livestock assistant)	12000

(c) विशेष पुरस्कार

क. सं.	पुरस्कार	विवरण	आरपीबीएफ के समस्त सदस्यों के पुत्र/पुत्री
1.	किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना	किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत चयनित	30000
2.	मैरिट छात्रवृति	दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में राज्य स्तरीय मैरिट में 10वें स्थान तक आने वाले	30000
3.	विशेष योग्यता पुरस्कार	दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में कुल प्राप्तांक 90 प्रतिशत से अधिक	20000
		दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में कुल प्राप्तांक 85 प्रतिशत से अधिक एवं 90 प्रतिशत तक	15000

(d) प्रोत्साहन छात्रवृति

क. सं.	पुरस्कार	विवरण	आरपीबीएफ के सदस्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पुत्रियों को
1.	School	कक्षा 8वीं एवं 9वीं में कुल प्राप्तांक 70 प्रतिशत या इससे अधिक	10000

2. आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र

छात्रवृति का विवरण	आवेदन हेतु प्रपत्र	स्वीकृतकर्ता अधिकारी
बिन्दु संख्या A की क.सं. 1 एवं 2 तक	प्रपत्र–1	पैरा 4 में अंकित अधिकारीगण
बिन्दु संख्या B की क.सं. 1 एवं 4 तक	प्रपत्र–1	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना,

बिन्दु संख्या C की क्र.सं. 1 एवं 3 तक	प्रपत्र–2	आधुनिकीकरण एवं कल्याण, राजस्थान जयपुर
बिन्दु संख्या D की क्र.सं. 1 के अनुसार	प्रपत्र–1	

आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र 3, 4 एवं 8 भी प्रस्तुत किया जाएगा।

3. आवेदन पत्रों का प्रेषण, परीक्षण एवं स्वीकृति हेतु अन्तिम तिथि

संबंधित कार्यालय द्वारा अपने नियंत्रण अधिकारी को प्रेषण हेतु	01.10.2019 तक
नियंत्रण अधिकारी कार्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करने के पश्चात् सामान्य अध्ययन छात्रवृति के स्वीकृति आदेश जारी करना	24.10.2019 तक
नियंत्रण अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति आदेश, तकनीकी एवं व्यावसायिक, विशेष योग्यता पुरस्कार, मैरिट छात्रवृति, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एवं पे-बैण्ड 5200-20200 एवं ग्रेड पे 1700 में वेतन प्राप्त करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पुत्रियों द्वारा कक्षा 8 व 9 में 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर देय छात्रवृति के आवेदन पत्रों को आयोजना एवं कल्याण शाखा, पुलिस मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित करना।	31.10.2019 को सांय 06.00 बजे तक

4. आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण

विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित आर.पी.बी.एफ. सदस्यों के आवेदन निम्न कार्यालयों में परीक्षण किये जाएगे।

महानिदेशक पुलिस, होमगार्ड/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों/जेल/ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी./प्रशिक्षण राज. जयपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेल्वेज/आर्म्ड बटालियन्स/ सीआईडी (सीबी)/ सीआईडी (आईबी)/ मुख्यालय/ एस.डी.आर.एफ./ए.एच.टी./ आर.एच.आर.सी. राजस्थान	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
निदेशक, एस.सी.आर.बी./ राजस्थान पुलिस अकादमी/ पुलिस दूरसंचार/ एफ.एस.एल. /राजस्थान इन्टेलीजेंस ट्रेनिंग अकादमी, जयपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी निरोधक दल, उदयपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय

वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी, जे.डी.ए. जयपुर/जोधपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
उपायुक्त, सर्तकता, नगर निगम	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पी.सी.पी.एन.डी. टी. सेल	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सर्तकता, डिस्कॉम, जयपुर/ अजमेर/ जोधपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
संबंधित पुलिस कमिशनर/जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभागों में पदस्थापित/अटैच आर. पी.बी.एफ. सदस्य

5. नियम/शर्ते/निर्देश

(a) आवेदन तिथि को अधिकारी/कर्मचारी का राज्य सेवा में होना आवश्यक है।

(b) आवेदन कर्ता अधिकारी/कर्मचारी की पिछले पांच वर्षो की चन्दा राशि जमा होने पर ही छात्रवृति देय होगी। इस आशय के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संलग्न प्रपत्र-4 में प्रमाण-पत्र जारी कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा।

(c) छात्रवृति वर्तमान में राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संसथानों में नियमित रूप से अध्ययनरत होने पर ही देय होगी जिसके प्रमाण स्वरूप संलग्न निर्धारित प्रपत्र-3 में संस्था का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। स्वयंपाठी व पत्राचार से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति देय नहीं होगी।

(d) सी.ए. एवं इन्टर्नशीप नियमित अध्ययन नहीं होने के कारण छात्रवृति देय नहीं होगी।

(e) सामान्य, तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में गत कक्षा की परीक्षा में छात्र द्वारा 62 प्रतिशत एवं छात्रा द्वारा 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंको में परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं उसकी अंकतालिका की प्रति के आधार पर अध्ययनरत कक्षा की छात्रवृति देय होगी। प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त होना आवश्यक है, सानुग्रह या पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्रवृति देय नहीं होगी।

(f) विशेष योग्यता पुरस्कार/मैरिट छात्रवृति परीक्षा परिणाम निकलने के तुरन्त पश्चात् के सत्र में अग्रिम अध्ययन करने की स्थिति में एक बार ही देय होगा।

(g) एक सत्र में एक सदस्य को सामान्य/तकनीकी/विशेष योग्यता पुरस्कार एवं मैरिट/प्रोत्साहन/खेल छात्रवृति को शामिल करते हुए अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रत्येक या कुल रूपये 30000 की सीमा तक ही छात्रवृति देय होगी।

(h) व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान अथवा ए. आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। कम्प्यूटर

पाठ्यक्रम Department of Electronics and Accreditation of Computer Course से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

(i) यदि कोई छात्र/छात्रा एक ही या दो वर्ष के अन्तराल के बाद नियमित अध्ययन प्रारम्भ करता है तो गत नियमित अध्ययनरत वर्ष की अंकतालिका के आधार पर छात्रवृति देय होगी लेकिन दो वर्ष से अधिक अन्तराल होने पर छात्रवृति देय नहीं होगी।

(j) श्रेणी सुधार हेतु पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने पर प्राप्त होने वाली अंकतालिका के आधार पर छात्रवृति देय नहीं होगी।

(k) यदि किसी कक्षा का परीक्षा परिणाम आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक घोषित नहीं होता है तो आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाए। यदि अंक तालिका प्राप्त नहीं होती है, तो इन्टरनेट से डाउनलोड की गई अंकतालिका प्रेषित करे ताकि आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखा जा सके। मूल अंकतालिका की प्रमाणित प्रति निर्धारित समय अवधि में प्राप्त होने पर ही छात्रवृति स्वीकृत की जाएगी।

(l) छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र के साथ कोई दस्तावेज नहीं लगाया जाता है ऐसे प्रकरणों को पूर्ति हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से तीन माह तक ही सुरक्षित रखा जाएगा। उक्त अवधि में पूर्ति नहीं होने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

(m) यदि कोई छात्र/छात्रा के एक स्नातक कोर्स करने के बाद दूसरा स्नातक कोर्स अथवा एक स्नातकोत्तर करने के बाद दूसरे विषय में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने पर छात्रवृति देय नहीं होगी।

(n) साधारण स्नातक के बाद तकनीकी शिक्षा यथा चिकित्सा, इन्जीनियरिंग, विधि स्नातक, बी.एड., बी.फार्मा आदि में प्रवेश लेने छात्र/छात्राओं को छात्रवृति देय होगी।

(o) तकनीकी स्नातक होने के बाद किसी भी संकाय से स्नातकोत्तर में प्रवेश पर छात्रवृति देय नहीं होगी। इसी प्रकार एक डिप्लोमा, स्नातक या अन्य कोर्स करने के बाद उसी स्तर पर दूसरा डिप्लोमा या अन्य कोर्स में प्रवेश लेता है तो छात्रवृति देय नहीं होगी।

(p) तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के मामलों में निर्धारित कक्षा यथा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष आदि उत्तीर्ण करने पर विश्वविद्यालय/संस्थान की अंकतालिका की प्रति के आधार पर छात्रवृति देय होगी। यदि सेमेस्टर व्यवस्था है, तो शिक्षा सत्र के दोनों सेमेस्टर की अंकतालिकाओं की प्रति प्रस्तुत करने पर ही छात्रवृति देय होगी।

(q) स्नातक एवं स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर केवल अंतिम वर्ष के अंको को ही आधार नहीं माना जाकर पूर्ण डिग्री कोर्स के अंकों को आधार माना जाएगा।

(r) उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम होने की स्थिति में छात्रवृति का निर्धारण पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

(s) यह सुनिश्चित करे कि प्रार्थी/पुलिसकर्मी स्वयं के एक अथवा दो बच्चों के लिए केवल एक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे, लेकिन एक बच्चा सामान्य अध्ययन एवं एक बच्चा तकनीकी अध्ययन में है, तो अलग-अलग आवेदन किए जाए।

(t) सामान्य पाठ्यक्रमों के आवेदन पत्र पैरा-4 में अंकित अधिकारीगण अपने अधीनस्थ जिला/यूनिट कार्यालय से प्राप्त कर निर्धारित नियम/शर्तो के तहत जांच के पश्चात् छात्रवृति की स्वीकृति निर्धारित प्रपत्र में (संलग्न) निर्धारित तिथि से पूर्व जारी करें।

(u) स्वीकृति के साथ अध्ययनरत/उत्तीर्ण कक्षावार छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र 6 एवं 7 में अवश्य संलग्न किया जाए।

(v) सामान्य पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त आवेदन पत्रों की जांच करवाई जाकर स्वीकृति योग्य मूल आवेदन पत्र मय संलग्न निर्धारित प्रपत्रों की पूर्ति के पश्चात् एम.एस.एक्सल में सूचीबद्ध कर सी.डी. सहित अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, राजस्थान, जयपुर को अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित किए जाए।

(w) निर्धारित आवेदन पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के प्रारूप संलग्न कर भिजवाए जा रहे हैं जिनकी प्रति आपके अधीनस्थ कार्यालयों को भी अपने स्तर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हुए निर्देशित करें कि वे उनके अधीनस्थ कार्यरत/ पदस्थापित/ प्रशिक्षण/ प्रतिनियुक्ति/ अवकाश एवं अन्यत्र ड्यूटी पर गए अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनके द्वारा निर्धारित समय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु जानकारी प्रदान करें।

(x) आवेदन पत्रों की जांच का कार्य कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मियों द्वारा करवाया जाए।

(y) निर्धारित तिथि के पश्चात् जारी स्वीकृतियां तथा प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य होगें।

(z) निर्धारित तिथियों में कोई परिवर्तन नही किया जाएगा। छात्रवृति स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

यह परिपत्र एवं समस्त प्रपत्र राजस्थान पुलिस वेबसाईट police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(भूपेन्द्र कुमार दक)
उपाध्यक्ष
राजस्थान पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड एवं
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक, गृह रक्षा/कारागार/एसीबी, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त महानिदेशक पुलिस/अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. निदेशक, एस.सी.आर.बी./राजस्थान पुलिस अकादमी/पुलिस दूरसंचार/एफ.एस.एल./राजस्थान इन्टेलीजेंस ट्रेनिंग अकादमी, राजस्थान।
4. पुलिस आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
7. प्रधानाचार्य, आर.पी.टी.सी., जोधपुर।
8. समस्त कमाण्डेंट, आर.ए.सी./एम.बी.सी./हाडी रानी बटालियन।
9. समस्त कमाण्डेंट, पी.टी.एस./पी.एम.डी.एस./कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल।
10. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
11. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
12. अन्य संबंधित अधिकारी।

(राजेन्द्र कुमार)
सचिव
राजस्थान पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड एवं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
आयोजना एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक-स-06(05)आ.एवंक./आरपीबीएफ/खेल छात्रवृति/2019-20/ 7829 दिनांक-30.05.2019

परिपत्र

राजस्थान पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड से खेल छात्रवृति

राजस्थान पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड से पुलिस कर्मियों के पुत्र/पुत्रियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए खेल छात्रवृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। संबंधित कार्यालयों में आवेदन हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 24.09.2019 है।

1. खेल छात्रवृति निम्न खेल संघों/संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर

Indian Olympic Association(IOA)
Association of Indian Universities(AIU)
School Games Federation of India(SGFI)
International Olympic Committee(IOC)
Olympic Council of Asia(OCA)
Commonwealth Games Federation
South Asian Games(SAF).

निम्न अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में

S.N.	Name of Game	S.N.	Name of Game
1.	Band (Men)	14.	Volleyball
2.	Equestrian (Men)	15.	Basketball
3.	Commando (Men)	16.	Handball
4.	Duty Meet (Men & Women)	17.	Yoga
5.	Shooting AIPDM (Men)	18.	Wrestling (Men & Women)
6.	Shooting Sports (Men & Women)	19.	Boxing (Men & Women)
7.	Hockey (Men)	20.	Weightlifting (Men & Women)
8.	Football (Men)	21.	Kabaddi (Men & Women)
9.	Archery (Men & Women)	22.	Body Building (Men)
10.	Athletics (Men & Women)	23.	Judo (Men & Women)
11.	Water Sports (Men)	24.	WuShu (Men & Women)
12.	Aquatic & Cross Country (Men)	25.	Taekwondo (Men & Women)
13.	Badminton (Men & Women)	26.	Gymnastics (Men)

प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रूपये 25000/-, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर रूपये 20000/- एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर रूपये 15000/- देय होगी।

2. आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र

खेल छात्रवृति का विवरण	आवेदन हेतु प्रपत्र	स्वीकृतकर्ता अधिकारी
बिन्दु संख्या 01 में वर्णित खेल प्रतियोगिताओं में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त होने पर	प्रपत्र–1	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण

आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र 2,3 एवं 4 भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. आवेदन पत्रों के प्रेषण एवं परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि

संबंधित कार्यालय द्वारा अपने नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषण हेतु	01.10.2019 तक
नियन्त्रण अधिकारी कार्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना	24.10.2019 तक
नियन्त्रण अधिकारी द्वारा खेल छात्रवृति के आवेदन पत्रों को आयोजना एवं कल्याण शाखा, पुलिस मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित करना।	31.10.2019 को सांय 06.00 बजे तक

4. आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण

विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित आरपीबीएफ सदस्यों के आवेदन पत्रों का निम्न कार्यालयों द्वारा परीक्षण किया जायेगा।

महानिदेशक पुलिस, होम गार्ड/ जेल/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/ एटीएस एवं एसओजी/ प्रशिक्षण राज. जयपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेल्वेज/आर्म्ड बटालियन्स/ सीआईडी (सीबी)/सीआईडी (आईबी)/मुख्यालय/ एसडीआरएफ/ एएचटी/मानवाधिकार आयोग, राजस्थान।	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
निदेशक, एससीआरबी/राजस्थान पुलिस अकादमी/पुलिस दूर संचार/एफएसएल/राजस्थान इन्टेलीजेन्स अकादमी, राजस्थान।	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी निरोधक दल, राजस्थान, उदयपुर।	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी, जेडीए जयपुर/जोधपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
उपायुक्त, सतर्कता, नगर निगम	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय

4

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पीसीपीएनडीटी सैल	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सतर्कता, डिस्कॉम, जयपुर/ अजमेर/जोधपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
संबंधित पुलिस कमिश्नर/जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभागों में पदस्थापित/अटैच आरपीबीएफ सदस्य

5. नियम / शर्तें / निर्देश

(a) आवेदन तिथि को अधिकारी/कर्मचारी का राज्य सेवा में होना आवश्यक है।

(b) आवेदन कर्ता अधिकारी/कर्मचारी की पिछले पांच वर्षो की चन्दा राशि जमा होने पर ही खेल छात्रवृति देय होगी। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संलग्न प्रपत्र-2 में इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावेगा।

(c) खेल छात्रवृति पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिन्दु सं. 01 में वर्णित खेल प्रतियोगिताओं में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर खेल संघों/संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में केवल एक बार ही देय होगी।

(d) एक वित्तीय वर्ष में एक सदस्य को अध्ययन हेतु सामान्य/तकनीकी/विशेष योग्यता पुरूस्कार/मैरिट/खेल छात्रवृति को शामिल करते हुए अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रत्येक या कुल रूपये 30000/- की सीमा तक ही छात्रवृति देय होगी।

(e) विजेता प्रमाण पत्र बिन्दू संख्या 01 में अंकित खेल संघों/संस्थानों द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए।

(f) खेल छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र के साथ यदि कोई दस्तावेज नही लगाया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों की पूर्ति हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि से तीन माह तक ही सुरक्षित रखा जायेगा। उक्त अवधि में पूर्ति नही होने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(g) वित्तीय वर्ष के दौरान एक पुत्र/पुत्री को कोई भी एक खेल में विजेता होने पर एक बार ही छात्रवृति देय होगी।

(h) यह सुनिश्चित करें कि प्रार्थी/पुलिस कर्मी स्वयं के अधिकतम दो बच्चों के लिए एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

(i) पैरा-04 में अंकित अधिकारीगण अपने अधीनस्थ जिला/यूनिट कार्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों की निर्धारित नियम/शर्तो के तहत जांच के पश्चात स्वीकृति योग्य मूल आवेदन पत्र मय संलग्न निर्धारित प्रपत्रों की पूर्ति के पश्चात एमएस एक्सल में सूचीबद्ध तैयार कर सी.डी सहित आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण शाखा, पुलिस मुख्यालय, जयपुर को अन्तिम तिथि से पूर्व प्रेषित करें।

(j) निर्धारित आवेदन पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के प्रारूप संलग्न कर भिजवाये जा रहे है, जिनकी प्रति आपके अधीनस्थ कार्यालयों को भी अपने स्तर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हुये निर्देशित करें कि वे उनके अधीन कार्यरत/पदस्थापित/प्रशिक्षण/ प्रतिनियुक्ति/अवकाश

4

एवं अन्यत्र ड्यूटी पर गये अधिकारी/कर्मचारियों को भी उनके द्वारा निर्धारित समय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु जानकारी प्रदान करें।

(k) आवेदन पत्रों की जांच कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मियों द्वारा करवाया जाए।

(l) निर्धारित तिथि के पश्चात प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जाऐगें।

(m) निर्धारित तिथियों में किसी प्रकार का परिर्वतन नही किया जाएगा। खेल छात्रवृति स्वीकृत/अस्वीकृति के संबंध में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

यह परिपत्र एवं समस्त प्रपत्र राजस्थान पुलिस वेबसाईट police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(भूपेन्द्र कुमार दक)
उपाध्यक्ष,
राजस्थान पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड एवं
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि–

1. महानिदेशक, गृह रक्षा/कारागार/एसीबी, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. निदेशक, एससीआरबी/राजस्थान पुलिस अकादमी/पुलिस दूरसंचार/एफएसएल/ राजस्थान इन्टेलीजेंस ट्रेनिंग अकादमी, राजस्थान।
4. पुलिस आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
7. प्रधानाचार्य, आरपीटीसी, जोधपुर।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी/एमबीसी/हाडीरानी बटालियन।
9. समस्त कमाण्डेन्ट, पीटीएस/पीएमडीएस/कमाण्डों ट्रनिग स्कूल।
10. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
11. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
12. अन्य संबंधित अधीकारी।

सचिव,
राजस्थान पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड एवं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
आयोजना एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE,
RAJASTHAN, JAIPUR.

No: 2284 Dated:24.04.2019

1. Commissioner of Police, Jaipur/Jodhpur.
2. All Inspectors General of Police Ranges, Rajasthan.
3. All District Superintendents of Police, Rajasthan.
4. Principal/Commandant, RPTC/ PTSs/CTS/PMDS, Rajasthan.
5. All Commandants, RAC/MBC/Hadi Rani Bn./ SDRF, Rajasthan.

Subject: Eye check up of drivers.

Sir,

It is desired that eye check up of all drivers be got done at least once a year. In this context, please send report of numbers of drivers posted in your district/unit and number of drivers whose eye test has been got done in 2019 till date.

This bears the approval of Director General of Police, Rajasthan.

Yours faithfully,

(Bhupendra Kumar Dak)
Addl. Director General of Police,
Planning, Modernisation & Welfare,
Rajasthan, Jaipur.

Copy to-
1. All Ds GP/Addl.DsGP, Rajasthan.
2. P.S. to Director General of Police, Rajasthan.

Addl. Director General of Police,
Planning, Modernization & Welfare,
Rajasthan, Jaipur.

स्मार्ट कॉप्स

प्रेषित:- पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/ जोधपुर/ए.सी.बी./जे.डी.ए. जयपुर एवं जोधपुर/केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
प्रधानाचार्य, आर.पी.टी.सी. जोधपुर/किशनगढ़।
समस्त कमाण्डेंट, आर.ए.सी. बटालियन मय आई.आर./ हाड़ी रानी महिला बटालियन अजमेर/एम.बी.सी. खैरवाड़ा/एस.डी.आर.एफ. जयपुर।
समस्त कमाण्डेंट, पी.टी.एस. राजस्थान मय पी.एम.डी.एस., बीकानेर/ कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सर्तकता, जयपुर नगर निगम जयपुर/डिस्कॉम जयपुर, जोधपुर, अजमेर/पीसीपीएनडीटी चिकित्सा विभाग/महिला आयोग/बाल संरक्षण आयोग, जयपुर।
समस्त जोन अधिकारी, सीआईडी, सीबी/ एस.बी, बी.आई. राजस्थान।
रिजर्व पुलिस निरीक्षक, पुलिस ऑटोमोबाईल वर्कशॉप, बीकानेर/जोधपुर।

प्रेषक:- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- स.6(2)आ.एवंक./वेलफेयर/बीमा/2018/ 1230 दिनांक:- 25-2-2019

इस कार्यालय के पत्रांक 1184 दिनांक 22.02.2019 में आंशिक संशोधन कर सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसीयों का वर्ष 2019-20 के लिए नवीनीकरण किया गया है। गृह विभाग के पत्र क्रमांक प.2(37)गृह-1/2008 दिनांक 21.02.2019 द्वारा निम्न दरों के अनुसार जोखिम राशि एवं प्रीमियम दरों में संशोधन किया गया हैं। प्रथम पॉलिसी जिसका प्रीमियम भुगतान वर्दीधारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन से किया जाना है। अतः पुलिस बल के प्रत्येक वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारी के माह फरवरी 2019 (देय 01.03.2019) के वेतन से कटौती की जाकर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि (साधारण बीमा निधि) विभाग को गत वर्ष की प्रकियानुसार भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन माह फरवरी में किसी भी कारणवश आहरित नहीं किया जाता है, तो उसका प्रीमियम जिला/यूनिट स्तर पर उपलब्ध किसी भी अन्य फण्ड से जमा किया जावें तथा माह फरवरी का वेतन आहरित होने पर सम्बन्धित पुलिसकर्मी से प्रीमियम की राशि नगद प्राप्त की जाकर, समायोजन की कार्यवाही करावें। यदि किसी पुलिस कर्मी का प्रीमियम माह फरवरी में जमा नहीं किया जाकर बाद में किया जाता है तो उनका प्रीमियम ई-ग्रास के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालयों में जमा कराया जावें।

क्र.सं.	पदनाम	जोखिम राशि	प्रीमियम राशि
1-	RPS/IPS	30.00 लाख प्रति व्यक्ति	4050
2-	ASI/SI/PI	20.00 लाख प्रति व्यक्ति	2700
3-	Const./HC	10.00 लाख प्रति व्यक्ति	1350

नोटः-उक्त प्रीमियम की दरों पर जी.एस.टी. कटौती नहीं की जानी हैं।

(अशोक कुमार गुप्ता)
उप महानिरीक्षक पुलिस
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. महानिदेशक पुलिस, होमगार्ड/कारागार/प्रशिक्षण/कानून एवं व्यवस्था/ ए.सी.बी. राजस्थान जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/ उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी/ एस.सी.आर.बी./पुलिस दूरसंचार/ एफ.एस. एल./ इन्टे. ट्रेनिंग अकादमी/प्रर्वतन आबकारी, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
6. आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) डी-ब्लॉक, द्वितीय मंजिल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर को उनके पत्र कमांक एफ174(III)जीआईएफ/जीपीए/पुलिस/2016/2985 दिनांक 15.02.19 के संदर्भ में।

उप महानिरीक्षक पुलिस
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।